प्रेस नोट

दिनांक 29.10.2024

अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के थाना कोतवाली नगर, कुरारा, सुमेरपुर, मुस्करा व थाना मझगवां से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अपराधियों का विवरण:-

1. अभियुक्त- जसवन्त पुत्र राकेश सोनकर निवासी मुहल्ला खालेपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर, दिनांक 05.10.2024 से 06 माह।
2. अभियुक्त नवाब सिंह पुत्र प्रताप नरायन निवासी ग्राम मनकी कला थाना कुरारा जनपद हमीरपुर, दिनांक 05.10.2024 से 06 माह।
3. अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र हाकिम सिंह निवासी ग्राम सुरौली थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर, दिनांक 24.10.2024 से 06 माह।
4. अभियुक्त- मोहित पुत्र कठोरीलाल उर्फ कढ़ोरी निवासी ग्राम गहरौली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर, दिनांक 05.10.2024 से 06 माह।
5. अभियुक्त- महेश पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम मझगवां थाना मझगवां जनपद हमीरपुर, दिनांक 24.10.2024 से 06 माह।
6. अभियुक्त- हनीफ अहमद पुत्र मान खां निवासी ग्राम जराखर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर, दिनांक 24.10.2024 से 06 माह।